न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 92/2024

उनवान

1. बद्री नारायण शर्मा पुत्र स्व० श्री मांगीलाल उर्फ मांगू, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बावडी की ढाणी, ग्राम घासीपुरा, तहसील– शाहपुरा, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज०)

2. बालासहाय शर्मा पुत्र स्व० मांगीलाल उर्फ मांगू, जाति–ब्राह्मण, निवासी–बावडी की ढाणी, ग्राम घासीपुरा, तहसील– शाहपुरा, जिला– जयपुर ग्रामीण (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (भू–आधार) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)
2 सुरेश पुत्र स्व० मोहन
3.ताराचन्द पुत्र स्व० मोहन
4.रामावतार पुत्र स्व० मोहन
5. राजेन्द्र पुत्र स्व० जगदीश
6.सरोज पुत्री स्व० जगदीश
7 सरोज पुत्री स्व0 जगदीश
8.गुड्डी पुत्री स्व० जगदीश
9. हनुमान पुत्र स्व० सुवालाल
10. श्रवण लाल पुत्र स्व० सुवालाल
11. रामेश्वर पुत्र स्व० सुवालाल
12. रामजीलाल पुत्र स्व० सुवालाल
13. गोपाल पुत्र स्व० सुवालाल
14. रमेश पुत्र स्व० सुवालाल
15. सीता देवी पुत्री स्व० सुवालाल
16. कमला देवी पत्नी स्व० सुवालाल
17. राधेश्याम पुत्र स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
18. मुरलीधर पुत्र स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
19. मदन लाल पुत्र स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
20. कौशल्या देवी पुत्री स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
21. शान्ती देवी पुत्री स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
22. मन्नू देवी पुत्री स्व० रामचन्द्र उर्फ चन्द्रा
23. सीताराम पुत्र स्व० बिरदा

समस्त जाति– ब्राह्मण, निवासी बावडी की ढाणी, ग्राम घासीपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर ग्रामीण (राज०)

– अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांकः 30/1/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल खाता संख्या 49 के आ0 ख0 न0 1019/752 रकबा 0.1871 है0, 773/2 रकबा 0.17 है0, 776 रकबा 0.32 है0, 777/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7271 है0 व हाल खाता संख्या 61 के आ0 ख0 न0 1017/752 रकबा 0.1968 है0, 773/1 रकबा 0.18 है0, 775 रकबा 0.30 है0, 777/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7268 है0 व हाल खाता संख्या 50 के आ0ख0न0 767/1184 रकबा 0.05 है0 वाकै ग्राम बावडी की ढाणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है। उक्त हाल खाता संख्या 49 के आ0 ख0 न0 1019/752 रकबा 0.1871 है0, 773/2 रकबा 0.17 है0, 776 रकबा 0.32 है0, 777/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7271 है0 व हाल खाता संख्या 61 के आ0 ख0 न0 1017/752 रकबा 0.1968 है0, 773/1 रकबा 0.18 है0, 775 रकबा 0.30 है0, 777/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7268 है0 व हाल खाता संख्या 50 के आ0ख0न0 767/1184 रकबा 0.05 है0 वाकै ग्राम बावडी की ढाणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/भू0अ0/2024/52 दिनांक 20.06.2024 की पालना में दिनांक 20.06.2024 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 18.10.2024 को अप्रार्थी सं. 02 स्वयं न्यायालय उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 3, 5, 11, 17, 18 की ओर से श्री रामगोपाल कुमावत एड. ने यू.टी. दी। दिनांक 23.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6 लगायत 10, 12 लगा0 16 की तामील हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही। दिनांक 08.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 3, 5, 11, 17, 18 की ओर से श्री रामगोपाल कुमावत एड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1, 4, 6 लगायत 10, 12 लगा0 16 तथा 19 लगायत 23 की तामील व सूचना होने पर भी उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है तथा वकील अप्रार्थी संख्या 3, 5, 11, 17, 18 को ओर से जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया जाता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल खाता संख्या 49 के आ0 ख0 न0 1019/752 रकबा 0.1871 है0, 773/2 रकबा 0.17 है0, 776 रकबा 0.32 है0, 777/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7271 है0 व हाल खाता संख्या 61 के आ0 ख0 न0 1017/752 रकबा 0.1968 है0, 773/1 रकबा 0.18 है0, 775 रकबा 0.30 है0, 777/1 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7268 है0 व हाल खाता संख्या 50 के आ0ख0न0 767/1184 रकबा 0.05 है0 वाकै ग्राम बावडी की ढाणी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/25 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर राज0